न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,महवा जिला दौसा

मु0नं0: 01/2023

विक्रय अधिकारी,दौसा केन्द्रीय सहकारी बैंक लि0 शाखा मण्डावर जरिये विक्रय अधिकारी संजीव कुमार पुत्र श्री ज्ञानेन्द्र पालसिंह जाति राजपूत निवासी 40 दया नगर, 60 फीट रोड, अलवर(राज.)

– अपीलार्थी

बनाम

1.ग्राम पंचायत गाजीपुर जरिये सरपंच सागरसिंह मीना पुत्र नामालुम निवासी खेडिया तहसील महवा जिला दौसा।
2.आशा कुमारी पत्नि रामलखन जाति ब्राहम्ण निवासी खावदा तहसील महवा जिला दौसा।
3.कुसुमलता पत्नि मुकेश कुमार जाति ब्राहम्ण निवासी खावदा तहसील महवा जिला दौसा।

– रेस्पोंडेन्ट

अपील विरुद्व नामान्तरकरण संख्या 933
दिनांक 19.12.2022 ग्राम पंचायत गाजीपुर

–:: निर्णय ::– दिनांकः 07.02.2024

अपीलान्ट की अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम सेवा सहकारी समिति लि0 रसीदपुर पर वर्ष 2014–15 में नित्यानंद शर्मा पुत्र हरसहाय जाति ब्राहम्ण निवासी खावदा तहसील महवा जिला दौसा व्यवस्थापक के पद पर तथा बाबूलाल सैनी पुत्र रामसहाय सैनी निवासी रसीदपुर तहसील महवा सहायक व्यवस्थापक के पद पर कार्यरत थे। वर्ष 2014–15 में किये गये समस्त ऋण वितरण के संबधस में राजस्थान सहकारी सोसायटी अधिनियम 2001 के तहत सदस्यों को ऋण वितरण किया गया किन्तु अल्पकालीन ऋण पेटे समिति के सन्तुलन चित्र में प्रदर्शित राशि एवं समिति के खातें में प्रदर्शित राशि में अन्तर पाया गया एवं सदस्यों के खातों में इन्द्राज नहीं कर अनियमितता की गई एवं बिना सिक्युरिटी के सी.सी. ऋण पेटे समिति के खातों के अनुसार व्यक्तिगत ऋण वितरण किया गया। अनियमितताओं की जॉच राजस्थान सहकारिता अधिनियम 2001 की धारा 55 के तहत की गई जिसमें उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर वर्ष 2014–15 में कुल 55,94,188/–अनियमितता के लिये पूर्व व्यवस्थापक नित्यानंद शर्मा एवं राशि 19,93,416/– अनियमितता के लिये तत्तकालीन व्यवस्थापक नित्यानंद शर्मा एवं बाबूलाल सैनी सह व्यवस्थापक के लिये उत्तरदायी है। अनियमितताओं की राशि को वसूलने हेतु नित्यानंद शर्मा एवं बाबूलाल सैनी से मय ब्याज वसूल करने के आदेश दिये गये तथा जमा नहीं कराया गया तो नित्यानंद शर्मा की कृषि भूमि ख.नं. 608, 609, का 1/4 हिस्सा व खसरा नम्बर 1040, 941, 942, 943, 944 का 1/7 हिस्सा ग्राम खावदा को कुर्क कर लिया गया कि विपक्षी रहन,विक्रय व दानपत्र या अन्य कोई भी परिवर्तन करने पर पाबंद रहेगें। इसी प्रकार बाबूलाल सैनी सहायक व्यवस्थापक की आराजी खसरा नम्बर 125, 127, 128, 129 का हिस्सा 1/9 तथा 992/2, 996/1 का हिस्सा 7/20 स्थित ग्राम रसीदपुर को कुर्क कर उक्तानुसार पाबंद किया गया। लेकिन पाबंदी के बावजूद भी कुर्कशुदा आराजी को नित्यानंद शर्मा ने पुत्र वधु आशा कुमारी पत्नि रामलाल व कुसुमलता पत्नि मुकेश के नाम दानपत्र करते हुए अमानत में ख्यानत दुर्विनियोग एवं छल किया है। जिसका नामान्तकरण सं. 933 दिनांक 19.12.2022 खोला गया जो निरस्त योग्य है। यदि उक्त दानपत्र की आराजी को रहन, विक्रय, दान कर दिया तो सहकारी समिति को अपूरनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार से संभव नहीं होगी। अतः उक्त नामान्तरकरण को निरस्त फरमाने की कृपा करें।

रेस्पोंडेन्ट सं. 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक द्वारा अपील का जबाव प्रस्तुत करते हुए अंकित किया है कि कार्यालय उप रजिस्टार सहकारी समितियॉ दौसा द्वारा दिनांक 31.10.2017 को पारित आदेश में नित्यानंद आवश्यक पक्षकार होने पर पक्षकार नहीं बनाया गया जो अपील पक्षकारों के असंयोजन के दोष से दूषित होने के कारण अपील खारिज योग्य है । उक्त एवं अन्य विभागीय आदेशों के विरुद्व आहत होकर नित्यानंद द्वारा माननीय राजस्थान

राज्य सहकारी समिति अधिकरण जयपुर में अपील पेश की गई जिसमें नित्यानंद के स्थगन प्रार्थना पत्र को दिनांक 17.10.2023 को स्वीकार किया जाकर दौराने अपील आक्षेपित निर्णय दिनांक 31.10.2017 व 05.08.2019 की कियान्विति के संबंध में प्रार्थी/अपीलार्थी की सम्पत्ति कुर्की व नीलामी बावत् कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई जाने के आदेश पारित किये गये। अतः नामान्तरकरण अपील खारिज योग्य है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा तत्कालीन व्यवस्थापक नित्यानन्द शर्मा के विरूद्ध गलत ऑडिट पैरा बनाये थे जिनको निरीक्षक सहकारी समिति दौसा द्वारा नित्यानन्द शर्मा का आचरण संदिग्ध नही पाया जाने पर समस्त पैरा ड्रॉप कर दिये गये।

रेस्पोडेंट सं. 1 द्वारा अपने जबाव में अंकित किया है कि उक्त प्रकरण राजस्व विभाग तथा ग्राम पंचायत, गाजीपुर के संज्ञान में नहीं था तथा ना ही राजस्व रिकार्ड में प्रकरण से संबंधित कोई आपत्ति दर्ज की गई थी जिसके कारण नामान्तरकरण प्रकिया को पूरा किया गया है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपनी बहस प्रारम्भ करते हुए अपील नामान्तरकरण के बिन्दुओं को पुनः दोहराया और उक्त नामान्तरकरण को खारिज करने का निवेदन किया।

रेस्पोंडेन्ट सं. 2 व 3 के विद्वान अभिभाषक ने बहस का उत्तर देते हुए जाहिर किया कि दान पत्र अपने ससुर द्वारा पुत्र वधुओं को सदभाव से पारिवारिक सदस्यों को दानपत्र किया गया है। ग्राम पंचायत के आदेश में कोई अनियमितता नहीं है।

हमने उभय पक्ष के विद्वान वकीलों की बहस पर मनन किया तथा रिकार्ड का अवलोकन किया। हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्रकरण में नित्यानंद को आवश्यक पक्षकार नहीं बनाया गया और माननीय राजस्थान राज्य सहकारी समिति अधिकरण जयपुर द्वारा विभागीय आदेशों पर स्थगन होने के फलस्वरुप नामान्तरकरण अपील स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। उप रजिस्ट्रार सहकारी समिति द्वारा तत्कालीन व्यवस्थापक नित्यानन्द शर्मा के विरूद्ध गलत ऑडिट पैरा बनाये थे जिनको निरीक्षक सहकारी समिति दौसा द्वारा नित्यानन्द शर्मा का आचरण संदिग्ध नही पाया जाने पर समस्त पैरा ड्रॉप कर दिये गये थे। इस प्रकार अपीलार्थी प्रश्नगत नामान्तकरण अपील को सिद्व करने में असफल रहे है। अपील अपीलार्थी स्वीकार योग्य नहीं पाई जाती है।

अतः अपील अपीलार्थी प्रमाणित नहीं होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश सुनाया गया।

(लाखनसिंह गुर्जर)
उपखण्ड अधिकारी
महवा जिला दौसा
उपखण्ड अधिकारी
07.02.2024
महवा जिला दौसा